

16-11-21.

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिये जाने के बाद भी न अपीलान्ट और न अधिवक्ता अपीलान्ट उप० आये। अतः पत्रावली अदम हाजरी, अदम पैरवी में रवारिज की जागी है। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जाके, बाद जाफ़ा दाखिल दफ़तर हो।

पत्रावली  
अदम हाजरी  
अदम पैरवी  
अदम हाजरी-दफ़तर